(256)

न्यायालय मे श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी 2313-II-15

अवधेश पिता रामाधार पटेल आयु 55 साल निवासी ग्राम कोलर थाना मानपुर, तहसील मानपुर, जिला उमरिया म0प्र0 ......पुनरीक्षणकर्ता/निगरानीकर्ता

बनाम

गयाराम पटेल पिता स्व0 रामाधार पटेल निवासी ग्राम कछौहा तहसील मानपुर, जिला उमरिया म0प्र0 ....उत्तरदाता

निगरानी विरूद्ध अपर कलेक्टर महोदय उमरिया, जिला उमरिया म0प्र0 के मामला कमांक 131/स्व0नि0/2013–2014 आदेश दिनांक 02.06.2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50(1) MPLRC1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से निम्नांकित निगरानी पेश कर विनय है कि:-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

यह कि ग्राम कोलर की शासकीय आराजी जोकि आम निस्तार की जमीन है जिस पर निगरानीकर्ता एवं ग्रामीण जनता का सार्वजनिक निस्तार होता है अनावेदक जोकि दूसरे गांव ग्राम कछौहा का निवासी है तथा धन सम्पन्न व बडा कृषक है ने उक्त दूसरे गांव की आराजी खसरा न0 435/1 जोकि आम निस्तार की जमीन है, को भूमि हीन बनकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय मानपुर के यहां फर्जी आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुये अपने पिता रामाधार के नाम दिनांक 19.10.1988 को व्यवस्थापन करवा लिया जिससे ग्राम कोलर की ग्रामीण जनता का निस्तार बंद होने लगा तथा निगरानीकर्ता भी परेशान हुआ व उसका भी निस्तार बंद कर दिया गया तथा फर्जी भूमि स्वामी बनकर नाजायज लाभ लेने की नियत से सिचाई विभाग द्वारा बनाई जा रही नहर निर्माण मे अपने को भूमि स्वामी बताकर शासन से मुआवजा राशि भी ले रहा है। उक्त जमीन जोकि आवेदक के गांव कोलर की है तथा अधिनस्थ न्यायालय नायब

(2)

R.2313-II/15 जिला-उमरिया

23/8/17

आवेदक को एवं आवेदक अधिवक्ता को समय समय पर आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अभि. के अभि. कक्ष - [illegible] भेजें उप./

सदस्य